हरियाणा सरकार

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2006

संख्या सा0का0नि0 32 /संवि0/अनु0 309/2006—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा शर्तों की विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग— ।—सामान्य

संक्षिप्त नाम

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2006 कहे जा सकते है।

परिभाषाए।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,——

(क) आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग _

(ख) ''आयुक्त'' से अभिप्राय है, आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा _

(ग) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो _

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार _

(ड़) "संस्थान से अभिप्राय है.—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्थान ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;

(च) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,———

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग जिला कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा _

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

1. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों में की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के लिए सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नही डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4 (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित ना हो :–

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीवार) जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तुक प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड़) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्टि किया जा सकता है परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नही किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधन शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नही किया जायेगा यदि वह आयोग या भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि को 21 वर्ष की आयु से कम का या 40 वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियॉ सरकार द्वारा की जायेगी ।

अर्हतायें ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट (ख) के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो,

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में चयन समिति के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकती है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गो, भुतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गो में उनके लिए आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेगे।

निरर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा _

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग।

9(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी–

(क) अधीक्षकों की दशा में–

(i) सहायकों या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा या

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल वरिष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नही करेगी।

परिवीक्षा।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु ––

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा तो वह]&

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो]–

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है, या

(ii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय सन्तोषजनक न रहा हो तो,———

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुज्ञात करें;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नही होगी ।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाऐगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहॉ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग–2 निश्चित की जाऐगी %

परन्तु यह और है कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय जैसी भी स्थिति हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा'' ।

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी %

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे;

fu;

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा A

सेवा करने का दायत्वि।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय_

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाऐगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधन के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाए जाऐं ।

अनुशासन, शास्तियॉ तथा अपीलें A

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर तथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धें के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं ।

विशेष उपबन्ध।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप–नियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ), (ड़) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ''घ'' में बताया गया हो ।

yx
O

टीका लगवाना।

15. सेवा के प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, निर्देश करें, टीका लगवाएगा और पुनः टीका लगवाएगा या स्वास्थ्य जांच करवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति।

17. जहां, सरकार की राय इन नियमों की किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो वहां यह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती हैं ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उचित समझे वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–2 पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियॉ, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगीः

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नही होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निससित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कारवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धें के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कारवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थाई	अस्थाई	जोड	
1	2	3	4	5
अधीक्षक	19	3	22	6500—200—8500— दक्षतारोध—200—10500 रूपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3
अधीक्षक		पदोन्नति द्वारा सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में दस वर्ष के अनुभव में से सहायक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो । स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव ।

परिशिष्ट ग

{देखिए नियम 14 (**1**)**}**

	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	दण्ड प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
	1	2	3	4	5
1.	अधीक्षक	सरकार	छोटी शास्तियॉ		
			(क) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी,	आयुक्त	सरकार
			(ख) परिनिन्दा ;		
			(ग) पदोन्नति रोकना,		
			(घ) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली,		
			(ड) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियॉ रोकना,		
			(2) बडी शास्तियॉः–		
			(च) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना		
			(छ) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में नियन्त्रण प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित की क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियॉ अर्जित करेगा या नही और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसको भावी वेतन		सरकार

वृद्धियॉ, स्थगित करने का
प्रभाव रखेगी या नही,

(ज) निरन्तर वेतनमान,
ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति
जो सरकारी कर्मचारी के उस समय
वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा
पर, जिससे वह अवनत किया
गया था, पदोन्नति के लिए
साधरणतयः रोक होगी, ऐसा
जिससे ग्रेड अथवा पद अथवा
सेवा के सरकारी कर्मचारी
अवनत किया गया था उस
पर बहाली सम्बन्धी और उसकी
ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या
सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों
सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के
साथ या उसके बिना होगा ;

(झ) अनिवार्य सेवा निवृति,

( ) सेवा से हटाया जाना, जो
सरकार के अधीन भावी
नियोजन के लिए निर्हता
नही होगी,

(ट) सेवा से पदच्युति जो सरकार
के अधीन का भावी नियोजन
के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।

सरकार

परिशिष्ट घ

{देखिए नियम 14 (**2**)**}**

पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3
अधीक्षक	(i) पैंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ।	सरकार
	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियम आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	

एल0एस0एम0सालिन्स
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी व कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The Ist December, 2006

No. G.S.R. 32 /Const. 309/2006. – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Excise and Taxation Department, Subordinate Officers (Group B) Service, namely :-

PART I-GENERAL

Short title

1 These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department Subordinate Officers (Group B) Service Rules, 2006.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission :

(b) "Commissioner" means the Excise and Taxation Commissioner, Haryana;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Institution" means :-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognized university" means :-

(a) any university incorporated by law in India; or

(ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules;

(g) "Service" means the Haryana Excise and Taxation Department Subordinate Officers(Group B), Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules.

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service

4. . – No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :-

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries or Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belong to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person is whose case a certificate of eligibility is necessary may admitted to an examination or interview conducted by the Commission, or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of Character from the Principal academic officer of the university, college school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible person, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with the said university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment if he is less than twenty one years or more than thirty years of age, on or before the 1st day of January next preceding the last date of submission of applications to the commission or the recruiting authority, as the case may be.

Appointing authority

6. **A**ppointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualification.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in the possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix `B' to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% a the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Schedule Caste, Backward Classes, Ex-Servicemen and Physically Handicapped categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

Disqualifications. -

8. No persons;

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment

9(1) Recruitment to the Service shall be made;

a. in the case of Superintendents----,

(i) by promotion from amongst Assistants or Senior Scale Stenographer; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the Service of any State Government of the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10.(1) - Person appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that –

a. any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

b. any period work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the Period of Probation, fixed under this rule; and

c. any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment, -

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority, may ,-

(a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, -

(i) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory, -

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit, or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of first period of probation;

Provided that the total period of probation including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *interse* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there re different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve

12. **(1)** A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside at the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :-

(i) a company, an association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or local authority or university within the State of Haryana; or

(ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly, or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules

and regulations as may have been, or may thereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals

14 (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as mentioned from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination

15. Every member of the Service, shall get himself vaccinated or vaccinated ıor revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of Allegiance.

16. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special Provisions

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations

19. Nothing contained in these rule shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings. -

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is an force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX `A'

(See rule 3)

Designation of posts	Number of posts			Scale of Pay
	Permanent	Temporary	Total	
Superintendent	19	3	22	Rs. 6500-200-8500-EB-200-10500.

–

APPENDIX--B

(See rule 7)

Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recrutiment
1	2	3
Superintendent		by promotion --- Ten years experience as Assistant or Senior Scale Stenographer. In case of Senior Scale Stenographer, out of ten years experience, he should have at least two years experience as as Assistant. by transfer or deputation--- Ten years experience as Assistant.

APPENDIX--C

(See rule 14(1))

Designation of Posts	**Appointing Authority**	**Nature of Penalty**	**Authority empowered to impose penalty**	**Appellate authority**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Superintendent	Government	**Minor penalties** (a) Warning with a copy in the personal file (character roll); (b) Censure; (c) withholding of promotion; (d) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to theCentral Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the legislature of a State; (e) withholding of increments of pay without cumulative effect; 2. **Major penalties.** (f) withholding of increments of pay with cumulative effect. (g) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not	Commissioner	Government

	have the effect of postponing the future increments of his pay;	
	(h) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade posts or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;	Government
	(i) compulsory retirement;	
	(j) removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government;	
	(k) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.	

APPENDIX--D

(See rule 14(2))

Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3
Superintendent	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government
	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.	

L.S.M.SALINS
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Excise and Taxation Department.

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 23rd December, 1987

No. G.S.R. 104/Const. 309/87. – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group B) Service, namely :-

PART I-GENERAL

Short title and

1. These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Commissioner's (Group B) Service Rules, 1987.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;

(b) "Commissioner" means the Excise and Taxation Commissioner, Haryana;

(a) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government;

(b) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(c) " Service means the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group-B) Service ;

(d) "recognized university" means :-

(b) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of the examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(i) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules; and

(e) "Institution" means :-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules.

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service

4. . (I) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :-

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(a) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries or Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India : Provided that a person belong to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of Character from the Principal academic officer of the university, college school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible person, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with the said university, college, school or institution.

Age.

5 No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment if he is less than twenty one years or more than thirty years of age, on or before the last date of submission of applications to commission or the recuiting authority, as the case may be.

Appointing authority

6. Appointments to the posts in the service shall be made by the Government.

Qualification.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in the possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix `B' to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Provided that in the case of direct recuitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discreation of the Commission or any other recuiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Schedule Castes, Backward Calsses, Excise-Servicemen and phusically Handicapped candidates, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies, reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualification. -

8. No persons;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in Service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment

9(1) Recruitment to the Service shall be made;

(f) in the case of Establishment Officer--

(i) by promotion from amongst the Superintendents : or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India ;

(g) in the case of Superintendents --

(i) by promotion from amongst the Superintendets : or

(ii) by transfer of deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India and

(c) in the case of Satistical Officer--

(i) by direct recruitment ; or

(ii) by promotion from amongst the Satistical Assistants ; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) When any vacancy occurs or is about to occur in the Service,. the appointing authority shall determine the method by which the same shall be filled in.

(3) Appointment by promotion shall be made on the basis of seniority-cum-metir and no person shall be entitled to claim promotion on the basis of seniority alone.

Probation.

10.(1) Person appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that –

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the Period of Probation, fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment, -

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority, may ,-

(a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, -

(i) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory, -

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit, or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of first period of probation;

Provided that the total period of probation including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *interse* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(c) in the case of member appointed by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve

12. **(1).** A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside at the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :-

(i) A company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly, or substantially owned or controlled by the Central Government; or

Liability to serve

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may thereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals

14 (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as mentioned from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination

15. Every member of the Service, shall get himselg vaccinated and re-vaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation

19. Nothing contained in these rule shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in

accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeat and Savings gs

20. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX `A'

(See rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Tempo-rary	Total	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Excise & Taxation Officer	38	….	1	Rs. 2,000-60-2,300-EB-75-3,200-100-3,500
2	Superintendents	5	….	5	Rs. 2,000-60-2,300-EB-75-3,200-100-3,500
3	Statistical Officer	1	….	1	Rs. 1,640-60-2,600-EB-75-2,900

APPENDIX--B

(See rule 7)

Serial No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Establishment Officer	……	Two years experience as Superintendent.
2	Superintendent		1. In case of appointment by promotion. Ten years experience as Assistant, or Senior Scale Stenographer. In case of Senior Scale Stenographer, out of ten years experience, he should have at least two years experience as an Assistant. (2) In case of appointment by transfer or deputation. (a) ten years experience as Assistant , or (b) One year experience as Deputy Superintendent.
3.	Statistical Officer	(1) Master's degree from a recognised university in Economica or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce, with Satistics as one of the subjects either at the Master's level or at the B.A. Honours School level, in case the candidate has also graduated in the Honours School in Mathematics or Economics or Master's degree in Statistics. (2) At least one year training in the Statistics at any recognised Institution/Office, and (3) Two years experience of dealing with Economics and Statistical matters in a Government Statistical Office/any other recognised institution	(1) Master's degree from a recognised university in Economica or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce, with Satistics as one of the subjects either at the Master's level or at the B.A. Honours School level, in case the candidate has also graduated in the Honours School in Mathematics or Economics or Master's degree in Statistics. (2) Seven years experience as a Statistical Assistant in case of promotion. (3) Two years experience as Statistical Officer in case of appointment by transfer or deputation.

APPENDIX--C

(See rule 14(1))

Serial No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1 2 3	Establishment Officer Superintendent Statistical Officer	Government	Minor penalties (a) Warning with a copy in the personal file (character roll); (b) Censure; (c)withholding of promotion; (d) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, (e) withholding of increments of pay; 2. Major penalties. (f) reduction to a lower stage in the time scale of pay (g) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service. (h)compulsory retirement; (i) removal from service which does not ordinarly disqualify from future employment. (j) dismissal from the service which does ordinarily disqualify from future employment.	Commissioner Government	Government

APPENDIX--D

(See rule 14(2))

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1	Establishment Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government
2	Superintendent		
3	Statistical Officer	(ii) terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for Super annuation.	Government

L.M. GOYAL
Commissioner and Secretary to Govt.,
Haryana, Excise & Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

23 दिसम्बर, 1987

संख्या सा.क.नि. 104/संवि,/अनु 309/87,—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्यपाल के इसके द्वारा हरियाणा आबकारी व कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले निम्नलिखित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप ख) संक्षिप्त नाम सेवा नियम, 1987 कहे जा सकते है।

परिभाषा

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "आयुक्त" से अभिप्राय है; आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा ;

(ग) "सीधी भर्ती " से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग से हरियाणा सरकार;

(ड) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रप ख) सेवा ;

(च) "मान्यताप्राप्त विशविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विशवि़ालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि—पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण—पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विशविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विशविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो,

(छ) "संस्थान" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्थान, या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्थान ।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदो की संख्या तथा स्वरूप

3. सेवा में नियमों के परिशिष्ट "क" में बताये गये पद होंगे:

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदो की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थाई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकारो पर प्रभाव नही डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारो की राष्ट्रियता, अधिवास तथा चरित्र

4 (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो, :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीवार) जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड़) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रत्रा का प्रमाण–पत्र जारी करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्टि किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नही किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु। 5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नही किया जायेगा जो आयोग या भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, *** को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि ठीक पहले की तिथि को 21 वर्ष की आयु से कम या 30 वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी। 6. सेवा में पदो पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी।

अर्हतायें 7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट (ख) के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अहर्तायें तथा अनुभव न रखता हो,

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगा, यदि अनुसूचित जातायां, पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारिरिक रूप से विलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारो की पर्याप्त संख्या उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उपलब्ध न हो। ऐसाकरने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेगे।

निरर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा _

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग।

9(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी–

(क) स्थापना अधिकारी की दशा में,–

(i) अधीक्षको में से पदोन्नति द्वारा, या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(ख) अधीक्षको की दशा में:–

(i) सहायको या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ;या

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार कर सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा

(ग) सांख्यकीय अधिकारी की दशा में,–

(i) सीधी भर्ती द्वारा, या

(ii) सांख्यिकीय सहायकों में से पदोन्नति द्वारा, या

(iii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे सांख्यिकीय अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रर्तिनियुक्ति द्वारा

(2) सेवा में जब कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, तो नियु्क्ति प्राधिकारी निश्चित करेगा कि उसे किस रीति में भरा जाएगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर की जाएगी और कोई भी व्यक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा करने का हकदार नही होगा।

परिवीक्षा

10 (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु ––

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन निश्चित परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की

विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा तो वह]&

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो]

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है, या

(ii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, या

(ख) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक न रहा हो,

तो,

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर परिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तो को अनुज्ञात करें, या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता थाः

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नही होगी।

ज्येष्ठता। 11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाऐगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहॉ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग–2 निश्चित की जाऐगी %

परन्तु वह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय जैसी भी स्थिति हो,

आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नही किया जाएगा।"
परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी %

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियुक्तियो में ऐसे सदस्यो की दशा में ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनमें वे पदोन्नति या स्थानान्तररित किए गए थे, और

(घ) विभिन्न संवगो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन से रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार, और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बडा सदस्य छोटे सदस्य ये ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायत्वि।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,:–

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो: अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय_

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाऐगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधन के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाए जाऐं ।

अनुशासन, शास्तियॉ तथा अपीलें A

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर तथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे : परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987 के नियम 10 के उप–नियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ), के अधीन आदेश पास करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट ''घ'' में विनिर्दिष्ट है।

O

टीका लगवाना।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य टीका लगवायेगा और जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, निर्देश करें, पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की

17. जहां, सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती हैं ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) के अन्तगर्त समय–2 पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियॉ, अनुसूचित कबीलों और अन्य पिछड़े वर्गों, को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगीः
परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणो की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नही होगी।

निरसन तथा व्याति

20. सेवा को लागू किसी नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमो के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरश्ति किया जाता हैः

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कारवां समझी जाएगी।

परिशिष्ट–क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड	
1	2	3	4	5	6
1	स्थापना अधिकारी	1	–	1	2000–60–2300 द.रो. 75–3200– 100–3500
2	अधीक्षक	5	–	5	2000–60–2300 द.रो. 75–3200– 100–3500
3	सांख्यिकीय अधिकारी	1	–	1	1640–60–2600 द.रो. 75–2900

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव यदि कोई हो
1	2	3	4
1	स्थापना अधिकारी	.....	अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
2.	अधीक्षक	.....	(1) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की दशा में:– सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दस वर्ष का अनुभव। वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में दस वर्ष के अनुभव में से वह सहायक रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखता हो। (2) स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की दशा में:– (क) सहायक के रूप में दस वर्ष का अनुभव, या (ख) उप–अधीक्षक के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
3.	सांख्यिकीय अधिकारी	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) जिन में या तो निष्णात स्तर पर या बी.ए. आनर्स स्कूल स्तर पर, अर्थ–शास्त्र	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) जिनमें या तो स्तर पर या बी.ए. आनर्स स्कूल स्तर पर, यदि उम्मीदवार गणित या

	यदि उम्मीदवार गणित या अर्थ	में भी आनर्स स्कूल से स्नातक हो, तो
	–शास्त्र में भी आनर्स स्कूल से	सांख्यिकीय का विषय लिया
	स्नातक हो, तो सांख्यिकी का	हो, तो सांख्यिकी का विषय
	विषय लिया हो या सांख्यिकी	लिया हो या सांख्यिकी में
	में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री);	निष्णात उपाधि(मास्टर डिग्री)
	(2) किसी मान्यताप्राप्त संस्था/	(2) पदोन्नति की दशा में सांख्यिकी
	कार्यालय में कम से कम सांख्यिकी	सहायक के रूप सात वर्ष का
	में एक वर्ष का प्रशिक्षण ; तथा	अनुभव ।
	(3) किसी सरकारी सांख्यिकी	(3) स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति
	कार्यालय/किसी अन्य मान्यता	द्वारा नियुक्ति की दशा में
	प्राप्त संस्था में अर्थशास्त्र तथा	सांख्यिकीय अधिकारी के रूप में
	सांक्षियकीय मामलों में कम से कम	दो वर्ष का अनुभव।
	दो वर्ष का अनुभव।	

परिशिष्ट "ग"

{देखिए नियम 14(1)**}**

क्रम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शक्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
			(1) छोटी शक्तियां		
1.	स्थापना अधिकारी	सरकार	(क) वैयक्तिक फाइल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	आयुक्त	सरकार
2.	अधीक्षक		(ख) परिनिन्दा;		
			(ग) पदोन्नति रोकना;		
1.	सांख्यिकीय अधिकारी		(घ) उपेक्षा या आदेशो के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई किसी धन संबंधी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;		
			(ड) समय मास में निरन्तर प्रक्रम पर अवनति		
			(च) बडी शक्तियां		
			(छ) निरन्तर वेतनमान, सरकार ग्रेट, पद या सेवा पर अवनति		
			(ज) अनिवार्य सेवा निवृति		
			(झ) सेवा से हटाया जाना, जो भावी नियोजन के लिये निरर्हित नही करता		
			(ञ) सेवा से पदनियुक्ति जो भावी नियोजन के लिये सामान्य निरर्हित करता है।		

टिप्पणीः— उपयुर्क्त शक्तियां हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 4 के उपनियम (1)में यथा प्रमाणित के अनुसार होगी।

परिशिष्ट "घ"

{देखिए नियम 14(2)**}**

Øe la[;k	पद का नाम	आदेशो का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1	स्थापना अधिकारी	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमो के अधीन उसे अनुक्षेय सामान्य या अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना।	सरकार
2.	अधीक्षक	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसके अधीवर्पिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियमित की समाप्ति	
3.	सांख्यिकीय अधिकारी		

एल0एम0गोयल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी व कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT.

Notification
The 3rd March, 1982

No. G.S.R. 32/Const./Art. 309/82--- In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India and all the other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and the conditions of service if persons appointment to the Excise and Taxation Department (Group-A) Service, namely:-

PART-I-GENERAL

Short title

1. (1) These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department (Group-A) Service (Amendment) Rules, 1982.

Definition

2. In these rules, unless the context otherwise, requires,-

(b) "Appendix" means an Appendix to these rules;
(c) "Commission means the Haryana Public Service Commission;
(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
(e) "Service" means the Haryana Excise and Taxation Department, (Group-A) Service.

PART-II-RECRUITMENT OF SERVICE

Number and Character of posts

2. The service shall comprise the posts shown in Appendix A:

Provided that nothing in these rules shall effect right of the Government to make additions to, or reduction in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay, either permanently or temporarily.

3. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Method of recruitment

4. (1) Recruitment to the Service shall be made-

(a) in the case of Joint Excise and Taxation Commissioner,-

(i) by promotion from amongst the Deputy Excise and Taxation Commissioner having worked as such for a minimum period of two years ; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of Government of India or of the State Government ;

(b) in the case of Deputy Excise and Taxation Commissioner,-

(i) by promotion from amongst Excise and Taxation Officers having worked as such for a minimum period of five years; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or of a State Government.

(2) Appointment by promotion to any post in the Service shall be made on merit basis with due regard to seniority.

Disqualifications

6 (1) No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person ;

Shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, excempt any person from the operation of this rule.

Probation

7 (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of one year:

Provided that-

(a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to the appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work and conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may-

(a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory:-

(i) revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed two years.

Seniority

8. Seniority interse or members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service**:**

Provided that where there are different cadres in the Service the seniority shall be determined separately for each cadre **:**

Provided that where there are different cadres in the Service the seniority shall be determined separately for each cadre**:**

Provided further that in case of two or more members appointed on the same day, the seniority shall be determined as follows:-

(a) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(b) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in the previous appointment, and if the rated of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to service

9. A member of the Service shall be liable to serve under the State Government at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the Government.

A member of the Service may also be deputed to serve under,-

(i) a company, an association or a body of individuals whether in-corporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or

(iii) any other State Government, an international organizations, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body:

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the central or any other state Government or any organisation or a body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension or other matters

10. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may here-after be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being inforce.

Discipline, penalties and appeals.

11. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Punjab Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1952, as amended form time to time **:**

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix B.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule(I) of rule 10 of rule of the said rules shall be as specified in Appendix C.

Vaccination

12. Every member, of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance

13. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation

14. Where the Government is of the opinion that it is necessary of expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Repeal and savings

15. The provisions contained in the Punjab Excise and Taxation Department (State Service Class-II) Rules, 1956, in so far as they apply to the post of Deputy Excise and Taxation Commissioner, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

Special Provisions

16. Notwith standing anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in order of appointment if it is deemed expedient to do so.

APPENDIX A

(See rule 3)

Number of posts

Serial No.	Description of posts	Permanent	Temporary	Total	Scale of pay.
1.	2	3	4	5	6
	Joint Excise and Taxation Commissioner	2	2	4	Rs. 1,700-60-2,000 Plus Rs. 200 Special Pay for Jt. E.T.C. (H.Q.) and Principal Training School.
2.	Deputy Excise and Taxation Commissioner	9	7	16	Rs. 1,400-50-1,500-60-1,860 Plus Rs. 150 Special *Pay for D.E.T.C.s. posted at H.Qs.*

APPENDIX-B

[See rule 1(1)]

Serial No.	Description of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty.
1.	Joint Excise and Taxation Commissioner	Government	(a) Warning with a copy on personal file ; (b) censure ; (c) withholding of increment or portion including stoppage at an efficiency bar ; (d) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders ; (e) reduction to a lower post or to a time scale or to a lower stage in a time scale ; (f) removal from the service which does not disqualify from furure employment (g) dismissal from the service which does ordinarily disqualify from future employment.	Government
2	Deputy Excise and Taxation Commissioner			

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT.

Notification
The 24th June, 1983.

No. G.S.R. 44/Const./Art. 309/83--- In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana makes the following rules further to amend the Haryana Excise and Taxation Department (Group-A) Service Rules, 1982, namely:-

1 These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department (Group-A) Service (First Amendment) Rules, 1983.

2 In the Haryana Excise and Taxation Department (Group-A) Service Rules, 1982, (hereinafter called the said Rules), in rule 5, in sub-rule (I), the existing clause(a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) in the case of Additional Excise and Taxation Commissioner,-

(i) by promotion from amongst the Joint Excise and Taxation Commissioner having worked as such for minimum period of two years ; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of the Government of India or of the State Government."

3. In the said rules, in Appendix A, the existing serial numbers 1 and 2 shall be re-numbered as 2 and 3, respectively, and before serial number 2 as so renumbered, the following serial number and entries there against shall be inserted, namely :-

Serial No.	Description of posts	Number of posts: Permanent	Temporary	Total	Scale of pay
1	2	3	4	5	6
1	Additional Excise and Taxation Commissioner	2	1	1	Rs. 2,000-2,500 plus Rs. 200 special pay.

4 In the said rules, in Appendix B, the existing serial numbers 1 and 2 shall be renumbered as 2 and 3, respectively and before serial number 2 as so remembered the following serial number and entry there against shall be inserted, namely :-

Serial No.	Description of posts
1	2
"1	Additional Excise and Taxation Commissioner."

5 In the said rules, in Appendix C, existing serial numbers 1 and 2 shall be remembered as 2 and 3 respectively, and before serial number 2 as so renumbered the following serial number and entry there against shall be inserted, namely :-

Serial No.	Description of posts
1	2
"1	Additional Excise and Taxation Commissioner".

L.C.GUPTA,
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 जून, 1983

सं0 सा0का0नि0 44.संविधान /अनुच्छेद 309/83.– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियो तथा इस निर्मित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1982 को आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप क) सेवा प्रथम संशोधन नियम, 1983, कहे जा सकते है।

2. हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1982 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में उपनियम (1) में, विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्न खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त की दशा में,–

(i) उन संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्तों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में कम से कम दो वर्ष तक काम किया हो ; या

(ii) पहले से भारत सरकार की या राज्य सरकार की सेवारत किसी अधिकारी के अन्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।"

3 उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में विद्यमान क्रमांक 1 तथा 2 को, क्रमशः 2 तथा 3 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित 2 से पूर्व निम्नलिखित क्रमांक तथा उसके सामने प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

		पदो की संख्या			
क्रमांक	पदो का ब्यौरा वेतनमान	स्थायी	अस्थायी	जोड	
1	2	3	4	5	6
1	अपर आबकारी तथा रू0 जमा कराधान आयुक्त विशेष	–––	1	1	2,000–2,500 200 रू0 वेतन

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट (ख) में विद्यमान क्रमांक 1 तथा 2 को, क्रमशः 2 तथा 3 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित क्रमांक 2 से पूर्व निम्नाकित क्रमांक तथा उसके सामने प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी :–

क्रमांक	पदो का विवरण
"1	अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त।"

5. उक्त नियमों मे, परिशिष्ट ग में विद्यमान क्रमांक 1 तथा 2 को, क्रमशः 2 तथा 3 के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित क्रमशः 2 से पूर्व निम्नलिखित क्रमांक तथा उसके सामने प्रविष्टि अन्त स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

क्रमांक	पदो का विवरण
1	2
"1	अपर आबकारी तथा कराधान आयुक्त ।"

एल0सी0गुप्ता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 8th August, 1988

No. G.S.R./Const. 309/88. – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Excise and Taxation Department (Group B) Service, namely :-

PART I-GENERAL

Short title and commencement

1 (i). - These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department (Group B) Service Rules, 1988.

(ii) They shall apply to every member of the service provided that where any of these rules, varies, to the disadvantage of any such member, the conditions of service applicable to him immediately before the 1st day of November, 1966 the rules applicable to such member immediately before that date in respect of his conditions of service to the extent to which any of these rules is to his disadvantage shall, unless such variation is made in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 82, of the Punjab Reorganisation Act, 1966, continue to apply to him.

Definitions

2. - In these rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission :

(b) "Commissioner" means the Excise and Taxation Commissioner, Haryana;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or of any State Government;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(e) "Institution" means :-

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognized university" means :-

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of the examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purpose of these rules; and

(g) "Service" means the Haryana Excise and Taxation Department (Group B), Service.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of posts

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules.

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to, or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to the Service

4. . – No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is :-

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries or Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belong to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person is whose case a certificate of eligibility is necessary may admitted to an examination or interview conducted by the Commission, or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of Character from the Principal academic officer of the university, college school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible person, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with the said university, college, school or institution.

Age.

5(i) - No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment if he is less than twenty one years or more than thirty years of age, on or before the 1st day of January next preceding the last date of submission of applications to the commission.

(ii) No person shall be appointed as Assistant Excise and Taxation Officer by promotion amongst Assistants or Senior Stenographers if he is more than 54 years of age on the 1st day of January immediately before the day on which the names are considered for appointment.

Appointing authority

6. All appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualification.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in the possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix `B' to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Disqualifications

8. No persons;

(b) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(c) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in service :

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment

9(1) Recruitment to the Service shall be made;

(b) in the case of Excise and Taxation Officer,

(i) 66-2/3% by promotion from amongst Assistant Excise and Taxation Officers; and

(ii) 33-1/3% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Assistant Excise & Taxation Officer :-

(i) 33-1/3% by direct recruitment; or

(ii) 50% by promotion from amongst the Taxation Inspector;

10% by promotion from amongst the Excise Inspectors; and

6-2/3% promotion from amongst the Assistants and Senior Scale Stenographers; or

(iii) by transfer of deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government India,

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on Seniority-cum-merit basis and Seniority alone shall not confer any right to such promotions.

(3) The direct recruitment of the members of the Service shall be made through a competitive examination, the syllabus of which shall be the same as in the case of competitive examination conducted by the Commission for recruitment of Haryana Civil Services (Executive Branch) and allied Services.

Probation.

10.(1) - Person appointed to any post in the Service shall remain on probation, for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that –

(b) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(c) any period work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the Period of Probation, fixed under this rule; and

(d) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, -

(a) If such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment, -

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority, may ,-

(a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, -

(i) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory, -

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit, or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of first period of probation;

Provided that the total period of probation including extension, if any shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *interse* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

Provided that where there re different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :

(c) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;

(d) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;

(e) in the case of member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and

(f) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve

12. (1). A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside at the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under :-

(i) a company, an association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or local authority or university within the State of Haryana;

(ii) the Central Government, or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly, or substantially owned or controlled by the Central Government; or

Liability to serve

(iii) any other State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may thereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals

14 (1). . - In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as mentioned from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix-C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Training of members of Service.

15. A member of Service appointed by direct recruitment shall undergo training for a period of one year and in such manner as specified in Appendix F.

.Departmental examination.

16. (1) - Every member of the Service shall within two years of his appointment, pass the departmental examination in accordance with the syllabus and other conditions as specified in Appendix `E' to these rules :

Provided that in the case of persons appointed to the service immediately before the issue of Punjab Government Excise and Taxation Department Notification No. 7249 E & T-11-64/1080, dated 8th February, 1965, period of passing the departmental examination shall be three years :

Provided further that it shall not be necessary for a member to take the departmental examination if he has already qualified in the higher standard in any or in all subjects a similar examination as Excise Sub-Inspector, Excise Inspector or Taxation Inspector or Assistant Excise and Taxation Officer by obtaining not less than 66 per cent marks in individual subject.

2. The Government may exempt any member from passing the whole or any part of the examination often recording reasons for so doing.

3. If any member unless exempted fails to pass the departmental examination within the prescribed period, he shall be liable to be removed from Service or reverted to his former appointment, as the case may be.

Vaccination.

17. Every member of the Service, shall get himself vaccinated and re-vaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance

18. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

19. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision

20. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

21. Nothing contained in these rule shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings. -

22. The Punjab Excise and Taxation Department (State Service Group-B) Rules, 1956 are hereby repealed.

APPENDIX `A'

(See rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of Posts			Scale of pay
		Permanent	Tempo-rary	Total	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Excise & Taxation Officer	38	46	84	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500
2	Assistant Excise & Taxation Officer	121	26	147	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200

APPENDIX--B

(See rule 7)

Serial No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1	Excise & Taxation Officer	Graduate of a recognized university	Three years experience as Assistant Excise and Taxation Officer.
2	Assistant Excise & Taxation Officer	Graduate of a recognized university.	1. Graduate of a recognized university; and 2. Three years experience as Taxation Inspector or Excise Inspector; or 3. Ten years experience as Assistant Senior Scale Stenographer.

APPENDIX--C

(See rule 14(1))

Serial No.	Designation of Posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Excise and Taxation Officer	Government	Minor penalties (i) Warning with a copy in the personal file (character roll); (ii) Censure;	Commissioner	Government
2	Assistant Excise & Taxation Officer.		(iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the legislature of a State; and (v) withholding of increments of pay; Major penalties. (vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and	Government	

whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade posts or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post of service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(viii compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.

APPENDIX--D

(See rule 14(2))

Serial No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order
1	2	3	4
1	Excise & Taxation Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government
2	Assistant Excise & Taxation Officer	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.	Government

APPENDIX-E

(See rule 16)

Syllabus and other conditions for the departmental examination of Officers of the Haryana Excise and Taxation Department.

1. A departmental examination for the Officers of the Excise and Taxation Department will be held thrice a year, in the months of February, June and October or in such other months as may be notified by the Excise and Taxation Commissioner/Government. The exact dates and place of examination will be notified before hand in the Haryana Government Gazettee.

2. The Deputy Excise & Taxation Commissioner, Excise and Taxation Officers and Chief Commissioner, Delhi, shall forward to the Excise and Taxation Commissioner, Haryana, the names of officers who intend to sit for the examination, together with the subjects in which they wish to be examined, before the date which shall be communicated to them by the Excise and Taxation Commissioner, Haryana.

3. The examination will be conducted by the Central Committee of Examinations, Haryana.

4. The papers will be set, answers examined and marks awarded by the examiners appointed by the Excise and Taxation Commissioner with the approval of the Haryana Government.

5. The answer books of the candidates will be forwarded by the Secretary, Central Committee of examinations, Haryana to the examiners appointed under conditions. The examiners will submit in a sealed cover their awards of marks, alongwith the answer books in original to the Secretary, Central Committee of Examinations, Haryana within two weeks from the date on which the examination closes. The Secretary will fill in the names of the examiners in the award Statements and forward them to the Excise and Taxation Commissioner, who will complete the results.

6. After each examination the names of successful candidates will be published in the Haryana in Gazette Part I.

8. The following officers will be required to pass the examination :-

(a) Excise and Taxation Officers ;

(b) Assistant Excise and Taxation Officer;

9. To pass the examination it will be necessary for a candidate to secure 66% marks in each subject.

Note :- If a candidate, obtains 75 per cent marks in any subject he shall be deemed to have passed in that subject with credit.

9. A paper of three hours carrying 100 marks shall be set on each of the following subject for the departmental examination.

SUBJECT I-Law of Crime

(1) Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860); Chapter 1 to V, IX to XI, XIII, XIV and XXIII;

(2) Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974); including Schedules omitting Chapters XVIII, XXVI, XXVII, IV, VII and VIII ;

(3) Indian Evidence Act, 1872 ;
except Chapters VI and VIII ;

(4) The Punjab General Clauses Act, 1898,

(5) The protection of Civil Rights Act, 1955.

SUBJECT II-Excise Law

(1) The Punjab Excise Act, 1914,

(2) The Punjab Local opium Act, 1923,

(3) The Opium Act, 1878.

(4) The Dangerous Drugs Act, 1930,

(5) The East Punjab Molasses (control) Act, 1948,

(6) The Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Section 26 only),

(7) The Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 and

(8) Notifications, Orders and Rules issued under the Acts (1) to (7).

SUBJECT III-Law Relating to Allied Taxes

(1) The Punjab Entertainments Duty Act, 1955 ;

(2) The Punjab Motor Spirit (Taxation of sales) Act, 1939;

(3) The Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952;

(4) The Punjab Entertainments Tax (Cinematograph Shows) Act, 1954;

SUBJECT IV-Sales Tax law and Practice

(1) The Haryana General Sales Tax Act, 1973;

(2) The Central Sales Tax Act, 1956 ;

(3) Notifications Rules and Executive instructions issued under the Acts (1) and (2) above; and

(4) Sales of Goods Ac t, 1930 ;

(5) Candidates will be required to know the general principles of the Act so far as they apply to the administration of the Punjab General Sales Tax Act and rules issued thereunder and will also be required to draw up assessment order.

SUBJECT V-Book-Keeping and General Commercial Knowledge

Candidates will be required to answer questions about the theory and practice of single and double entry book-keeping including the preparation of trading accounts, profits and loss, Accounts and balance sheets. The papers will also test candidates knowledge of general commercial terms and practice.

SUBJECT VI-Landa script Amritsar and Mahajani

(1) Transliteration into Roman Characters of passages written in Landa Script; and

(2) Transliteration into Landa Script of passengers in Roman Characters.

Note :- Candidates have the option of taking either Amritsari or Mahajani Landa Script.

APPENDIX `F'

(See rule 15)

Serial No.	Place of training	Period of training	Remarks
1	As office Clerk in the district	4 Weeks	During this period, they will work under the direct supervision of Office Superintendent.
2	To work as Clerk with the A.E.T.O.'s.	2 Weeks	They will be imparted training by the AETO regarding Clerical work done by the Clerks attached with the Assessing Authority.
3	To work as Clerk with the ETO's.	4 Weeks	They will be imparted training by the ETO's regarding Clerical work done by the Clerks attached with the Assessing Authorities.
4	Allied Acts	2 Weeks	They will be imparted training by the T.I.'s dealing with Allied Acts.
5	Passengers and Goods Taxation Act	4 Weeks	They will be imparted training by the T.I.'s dealing with passengers and Goods Taxation Act.
6	Sales Tax/Central Sales Tax Act.	2 Weeks	They will be imparted training by the T.I. dealing with the Sales Tax/Central Sales Tax.
7	To work as Barrier Clerks	2 Weeks	They will be imparted training in the Clerical work at the barrier.
8	To get training as Officer/ incharge at Barriers.	4 Weeks	The training will be imparted by the Officer/Incharge in

			respect of functioning of the barrier.
9	To get training of the Inspection/Enforcement.	4 Weeks	During this period, they will be imparted training by the ETO (Enf.) ETO (Insp.) in respect of Inspection/ Enforcement work. The trainee may also be taken on road checking by the ETO/AETO (Enf.)
10	To get training as Excise Clerks	2 Weeks	They will be attached will the Clerk for getting training inspect of Excise work.
11	To be attached with ETO/ AETO's (Excise).	2 Weeks	During this period, the ETO/AETO (E) will impart training in detail about Excise Law and procedure. They will also be imparted training under the Molasses Act preparation Medicinal and Toilet Act and Dangerous Drugs Act, etc.
12	Distillery/Brewery Training	4 Weeks	During this period, they will get distillery/ brewery training and will be attached with the ETO AETO (Ex)/ distillery Inspector/ Excise Inspector.
13	Chemical Works	2 Weeks	During this period, they will be attached with the E.I. posted in the chemical works for getting training at chemical works.

14	To work in the D.C. Office for getting training as revenue clerk.	2 Weeks	During this period, they will be imparted training as Revenue Clerk.

L.M. GOYAL
Commissioner and Secretary to Govt.,
Haryana, Excise & Taxation Department.

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT.

Notification
The 31st May, 2004.

No. G.S.R. 14/Const./Art. 309/2004--- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all the other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service Rules, 1988, namely:-

1. (1)These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2004.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.In the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service Rules, 1988, in Appendix 'E' for the existing syllabus the following syllabus shall be substituted namely:-

"Subject-I Law of Crime

(1) The Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860), Chapter I to V, IX to XI, XIII, XIV and XXIII;
(2) The Code of Criminal Procedure, 1973(Act 2 of 1974), excluding chapters VIII, IX, X, XI, XXV,XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX and XXX;
(3) The Indian Evidence Act, 1872(1 of 1872), except chapters VI and VIII;
(4) The General Clause Act, 1897 (10 of 1897); and
(5) The Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955)

"Subject-II Excise Law

(1) The Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914)
(2) The Punjab Local Option Act, (Punjab Act 5 of 1923)
(3) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985)
(4) The East Punjab Molasses (Control), Act, 1948 (11 of 1948);
(5) The Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (1 of 1994), (Section 31 only);
(6) The Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955) ; and
(7) Notification orders and rules issued under items No. 1 to 6 above.

"Subject-III Allied Taxes

(1) The Haryana Local Area Development Tax, Act, 2003 (13 of 2000) ;
(2) The Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003);
(3) The Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956);
(4) The Sales of Goods Act, 1930 (III of 1930; and);
(5) Notifications, rules and executives instructions issued under items (1 to 4) above; and
(6) Candidates will be required to know the general principles of the Act so far as they apply to the administration of the Haryana Value Added Tax Act and rules made thereunder and will also be required to draw up assessment orders under the said Acts.

Subject-V Book Keeping and General Commercial Knowledge.

Candidates will be required to answer questions about the theory and practical of single and double entry book keeping including the preparation of Trading Accounts, Profits and Loss Accounts and balance sheets. The paper will also test candidates' knowledge of General Commercial Terms and Practice.

Subject-VI Computer Operation

A test of computer handling requiring the examinee to operate the computer, work in windows and make use of Microsoft Word, Microsoft Excel packagers effectively, create Electronic Mail identity receive and send messages and files through Electronic Mail access internet, surfing the internet and downloading information from the internet."

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana.
Excise and Taxation Department.

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT.

Notification
The 9th December, 2005.

No. G.S.R. 19/Const./Art. 309/2005--- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana makes the following rules further to amend the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service Rules, 1988, namely:-

5. These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2005.

6. In the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service Rules, 1988, in rule 5,-

(f) brackets and figure ‘‘(i) ’’ shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 8th January, 2001.

(g) Clause (ii) shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 8th January, 2001.

L.S.M.SALINS,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अगस्त,1988

संख्या सा0का0नि0 58/संवि0/अनु0 309/88—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा शर्तों की विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग— ।—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण

1. (i) ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग अधीनस्थ कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988 कहे जा सकते है।

(ii) ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे, परन्तु जहां इनमें से कोई नियम ऐसे किसी सदस्य पर उसे लागू नवम्बर, 1966 के प्रथम दिवस से तुरन्त पूर्व सेवा शर्त में कुप्रभाव डालते हुए बदलता है, ऐसे सदस्य पर उक्त तिथि से पूर्व लागू नियम, उसी सेवा शर्त के बारे में, उस सीमा तक जिस तक इन नियमो में से कोई भी उसकी सेवा शर्त पर कुप्रभाव डालता है, उसे लाभ रहेगा जब तक कि ऐसा परिवर्तन पंजाब पुर्नगठन अधिनियम, 1966, की धारा 83 की उपधारा 6 के उपबन्धों के अनुसार न किया जाये।

परिभाषाए।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,——

(d) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग _

(ख) ''आयुक्त'' से अभिप्राय है, आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा _

(x) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो _

(घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार _

(ड़) संस्थान से अभिप्राय है :—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्थान; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्थान।

(च़) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,———

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय, या

(ii) 15 अगस्त, 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि उपाधि—पत्र

(डिप्लोमा) या प्रमाण–पत्र की दशा में पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय, या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो, तथा

(छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग जिला कार्यालय (ग्रुप ख) सेवा _

भाग– ।।–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों में की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के लिए सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नही डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4 (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :–

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीवार) जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तुक प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड़) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी करना आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्टि किया जा सकता है परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त तब तक नही किया जायेगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई

हो, प्रधन शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण–पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली–भांति परिचित हों और जो उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हो उसी प्रकार के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु।

5. (i) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नही किया जायेगा यदि वह आयोग या भर्ती प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम का या 40 वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

(ii) सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से कोई कर्मचारी सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी के पद पर पदोन्नत नही किया जायेगा यदि वह नियुक्ति के लिये नामों पर विचार करने की तिथि से तुरन्त पहले की प्रथम जनवरी को 54 वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियॉं सरकार द्वारा की जायेगी ।

अर्हतायें ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नही किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट (ख) के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो।

निरर्हताएं।

8. कोई भी व्यक्ति,––

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा _

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग।

9(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी–

(क) आबकारी व कराधान अधिकारियों की दशा में :–

(ii) 62 2/3 प्रतिशत सहायक आबकारी व कराधान अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा,

(iii) 33 1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, या

(iv) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा ।

(ख) सहायक आबकारी व कराधान अधिकारियों की दशा मे :–

(i) 33 1/2 प्रतिशत सीधी भर्ती, और

(ii) 50 प्रतिशत कराधान निरीक्षको में से पदोन्नति द्वारा, और

10 प्रतिशत आबकारी निरीक्षको में से पदोन्नति द्वारा, और

6 2/3 प्रतिशत आबकारी तथा कराधान विभाग के सहायकों तथा वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा, या

(iii) पहले से लगे किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में किसी कर्मचारी/अधिकारी की प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा।

(ii) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्ध न हो ज्येष्ठता एवं गुणागुण के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नति के लिये कोई अधिकारी प्रदान नही करेगी।

(iii) सीधी भर्ती द्वारा सेवा के सदस्यों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जायेगी जिसका पाठ्यक्रम वही होगा जो हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और आनुसंगिक सेवाओ के लिये आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दशा में होता है।

परिवीक्षा। 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु ––

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है, और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा तो वह]&

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,–

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्ते अनुज्ञात करे ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,–

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो]–

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्टि कर सकता है, या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है, या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय सन्तोषजनक न रहा हो तो,–––

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुज्ञात करें;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नही होगी ।

ज्येष्ठता।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाऐगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहॉ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग–2 निश्चित की जाऐगी %

परन्तु यह और है कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय जैसी भी स्थिति हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा'' ।

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी %

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा,

fu;qf

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता, ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गो से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवा काल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा A

सेवा करने का दायत्वि।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य के भीतर अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है,

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास हो या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय%

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाऐगा ।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधन के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों, अथवा इसके बाद अपनाये या बनाए जाऐं ।

अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलें A

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय–समय पर तथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियों लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धें के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के उप–नियम (1) के खंड (ग) या खंड (घ), (ड़) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट ''घ'' में बताया गया हो ।

yx
O

सेवा के सदस्यों का प्रशिक्षण

15. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सेवा का कोई सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिष्ट "व" मे विनिर्दिष्ट रीति में प्रशिक्षण लेगा।

विभागीय परीक्षा

16. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य अपनी नियुक्ति से दो वर्ष के भीतर इन नियमों के परिशिष्ट पाठयक्रम और शर्तो के अनुसार विभागीय परीक्षा पास करेगा :

परन्तु पंजाब सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना सं0 7269–आ0 तथा कः 11–64/1080, दिनांक 8 फरवरी, 1966 के जारी होने से तुरन्त पहले सेवा में नियुक्त सदस्यों की दशा में विभागीय परीक्षा पास करने अवधि दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष होगीः

परन्तु सेवा के किसी सदस्य के लिये विभागीय परीक्षा पास करना अनिवार्य नही होगा। यहद उस ने आबकारी उप–निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, कराधान निरीक्षक या सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी के रूप में कम से कम 66 प्रतिशत अंक ले कर प्राप्त कर ली हो।

(2) सरकार किसी भी सदस्य को ऐसा करने के कारण लिख कर सारी परीक्षा या उसके किसी भाग को पास करने से छूट प्रदान कर सकती है।

(3) यदि कोई सदस्य जिसे यह परीक्षा पास करने से छूट प्रदान न की गई हो निर्हित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहा हो तो उसे यथा स्थिति सेवा से हटा दिया जायेगा या उस की पहली नियुक्ति, यदि कोई हो, पर प्रतिवर्तित करने का दावी है।

टीका लगवाना।

17. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, निर्देश करें, टीका लगवाएगा और पुनः टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

18. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति।

19. जहां, सरकार की राय इन नियमों की किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो वहां यह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती हैं ।

विशेष उपबन्ध ।

20. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण ।

21. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय–2 पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियॉं, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगीः

परन्तु इस प्रकार किये गये आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नही होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

22. पंजाब आबकारी तथा कराधान विभाग राज्य सेवा ग्रुप ख नियम, 1956 इसके द्वारा निरसित किये जाते है।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद का नाम		पदो की संख्या		वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	आबकारी तथा कराधान अधिकारी	38	46	84 रू0	2,000—60—2,300—द.रो. —75—3, 200—100—3,500
2.	सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी	121	26	147 रू0	2000—60—2300—द.रो. —75—3,200.

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4

1.	आबकारी तथा कराधान अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।
2.	सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और 2 कराधान निरीक्षक या आबकारी निरीक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव या सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट "ग"

{देखिए नियम 14 (**1**)**}**

Øe संख्या	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	दण्ड	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	आबकारी तथा कराधान अधिकारी	सरकार	छोटी शास्तियॉं		
2	सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी	सरकार	.(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी, (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना, (iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, संसद या राज्य विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली, (v) वेतन वृद्धियॉं रोकना,	आयुक्त	

(2) बडी शास्तियॉ

(i) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में नियन्त्रण प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित की क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियॉ अर्जित करेगा या नही और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसको भावी वेतन वृद्धियॉं, स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नही, — आयुक्त

(vii) निरन्तर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधरणतयः रोक होगी, ऐसा जिससे ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा के सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगा,

(viii) अनिवार्य सेवा निवृति,

(ix) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हता नही होगी,

(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन का भावी नियोजन के लिए सामान्यतः निर्हता होगी ।

परिशिष्ट "घ"

{देखिए नियम 14 (**2**)**}**

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	आबकारी तथा कराधान अधिकारी	(i) पैंशन को नियत करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ।	सरकार
2.	सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी	(ii) उसके अधिवर्षिता के लिए नियम आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	

परिशिष्ट "ड."

(देखिए नियम 16**)**

आबकारी तथा कराधान विभाग, हरियाणा के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम तथा अन्य शते।

1. आबकारी तथा कराधान विभाग के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा, वर्ष में तीन बार, फरवरी, जून तथा अक्तूबर के महीनों में या ऐसे अन्य महीनों में जो आबकारी तथा कराधान आयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएंगे, होगी। परीक्षा की निश्चित् तिथियां तथा स्थान हरियाणा सरकार राज पत्र में पहले से अधिसूचित की जाएंगी।

2. उप आबकारी व कराधान आयुक्त /आबकारी तथा कराधान अधिकारी तथा मुख्य आयुक्त, दिल्ली, उन अधिकारियों के नाम जो परीक्षा देना चाहते हैं, उन विषयों सहित जिन में वह परीक्षा देना चाहते हैं, आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा को उस तिथि से पूर्व, जो आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा उन्हें संसूचित की जाएगी, अग्रेषित करेंगे।

3. परीक्षा, केन्द्रीय परीक्षा समिति (हरियाणा) द्वारा संचालित की जाएगी।

4. हरियाणा सरकार के अनुमोदन से आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट परीक्षकों द्वारा पेपर तैयार किये जायेंगे उत्तरो की जांच की जाएगी और अंक दिये जाएंगे।

5. सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति, हरियाणा नियम 4 के अधीन नियुक्त परीक्षकों को उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिकाएं भेजा करेगा। परीक्षक परीक्षा समाप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर सचिव, केन्द्रीय परीक्षा समिति (हरियाणा) को अपने अंको का विवरण अंक विवरणों में परीक्षार्थियों के नाम भरेगा तथा उन्हें आबकारी तथा कराधान आयुक्त को भेजेगा, जो परिणाम तैयार करेगा।

6. प्रत्येक परीक्षा के बाद सफल हुए उम्मीदवारों के नाम, हरियाणा राजपत्र के भाग I में प्रकाशित किये जाएंगे।

7. निम्नलिखित अधिकारियों को परीक्षा पास करनी होगी :–

(क) आबकारी तथा कराधान अधिकारी,

(ख) सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारी।

8. परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार के प्रत्येक उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम 66 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी .–– यदि कोई उम्मीदवार किसी विषय में 75 प्रतिशत से अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे उस विषय में विशेष में विशेष योग्यता से पास समझा जाएगा।

9. विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रत्येक विषय में 100 अंको का, 3 घण्टे की अवधि का पेपर तैयार किया जाएगा :–

विषय **I** अपराध विधि

(1) भारतीय दण्ड संहिता 1860 का अधिनियम 45 अध्याय 1 से 5 तक, 9 से 11, 13, 14 तथा 23,

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (1974 का अधिनियम 2) 1973 अनुसूचित सहित, अध्याय 4, 7, 8, 18, 26 तथा 27 को छोड कर,

(3) भारतीय साक्षी अधिनियम, 1972, अध्याय 6 तथा 8 के सिवाय,

(4) पंजाब साधारण खण्ड अधिनियम, 1898, तथा

(5) सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1955।

विषय **II** अपराध विधि

(1) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914,

(2) पंजाब स्थानीय अफी अधिनियम, 1923,

(3) अफीम अधिनियम, 1878,

(4) अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1936,

(5) पूर्वी पंजाब शीरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1978,

(6) पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 (केवल धारा 26)

(7) औषधीय एव्र प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1956,

(8) 1 से 7 अधिनियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं, जारी किये गये आदेश तथा नियम।

विषय **III** सह्बदध करो से संबन्धित विधि

(1) पंजाब मनोरंजन कर अधिनियिम, 1955,

(2) पंजाब मोटर स्पिरिट (विक्रय कराधान) अधिनियम, 1939,

(3) पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952,

(4) पंजाब मनोरंजन कर (सिनेमा शो) अधिनियम, 1954।

विषय **IV** विक्रय तथा पद्धति

(1) हरियाणा साधारण कर अधिनियम, 1973,

(2) केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956,

(3) ऊपर 1 तथा 2 अधिनियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं, जारी किये गये आदेश तथा कार्यकारी अनुदेश,

(4) भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930,

(5) उम्मीदवार से अधिनियम के सामान्य सिद्धान्त, जहां तक वे, पंजाब सामान्य विक्रय कर अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किये गये नियमों को लागू होते हैं, जानने की अपेक्षिा की जाएगी तथा उससे निर्धारण आदेश बनाने की भी अपेक्षा की जाएगी।

विषय **V** बही खाता रखने की प्रणाली तथा सामान्य वाणिजिकी

उम्मीदवार से एक्ल तथा दोहरी बही खाता प्रविष्टि प्रणाली के सिद्धान्त, जहां तक वे, पंजाब सामान्य विक्रय कर अधिनियम तथा उसके अधीन जारी किये गये नियमों को लागू होते हैं, जानने की अपेक्षा की जाएगी तथा उससे निर्धारण आदेश बनाने की भी अपेक्षा की जाएगी।

विषय **V** बही खाता रखने की प्रणाली तथा सामान्य वाणिजिकी

उम्मदीवार से एक्ल दोहरी बही खाता प्रविष्टि प्रणालह के सिद्धान्त तथा व्यवहार के बारे में प्रश्नो के उत्तर देने को, जिसमें व्यापारिक लेखेख्ा लाभ तथा हानी लेखे तथा तुलना पत्र तैयार करने शामिल है, अपेक्षा की जाएगी। पेपर में उम्मीदवार के सामान्य वाणिज्यिक शब्दों तथा व्यवहार के ज्ञान की भी परीक्षा ली जाएगी।

विषय **VI** अमृतसारी तथा महाजनी लण्डा लिपि

(1) लण्डा लिपि में लिखे हुए परिच्छेदो का रोमन लिपि में लिप्यन्तरण, और

(2) रोमन लिपि के परिच्छेदो का लण्डा लिपि में लिप्यन्तरण।

टिप्पणः— उम्मीदवार को अमृतसरी या महाजनी लण्डा लिपि में से काई एक लेने का विकल्प प्राप्त होगा।

परिशिष्ट "च"

(देखिए नियम 15)

क्रमांक	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण अवधि	टिप्पणी
1.	जिलो में कार्यालय लिपिक के रूप में अधीन	4 सप्ताह	इस अविध के दौरान वह कार्यालय अधीक्षक के कार्य करेंगे।
2.	सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी के साथ लिपिक के रूप में	2 सप्ताह	सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी द्वारा असैसिंग अथोर्टी के साथ लगाये गये लिपिक के कार्य का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3.	आबकारी व कराधान अधिकारी के साथ लिपिक के रूप में साथ का	4 सप्ताह	आबकारी व कराधान अधिकारी द्वारा असैंसिंग अथोर्टी के लगाए गए लिपिक के कार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा।
4.	सहबद्ध कर करा परिक्षण	2 सप्ताह	सहबद्ध करों से सम्बन्धित –धान निरीक्षक द्वारा दिया जायेगा।
5.	यात्री तथा माल कराधान अधिनियम	4 सप्ताह	यात्री तथा माल कराधान अधिनियम से सम्बन्धित कराधान निरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
6.	बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री कर कर	2 सप्ताह	बिक्री कर/केन्द्रीय बिक्री अधिनियम से सम्बन्धित कराधान निरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।
7.	नाका लिपिक के रूप में का	2 सप्ताह	नाका पर लिपिक के कार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8.	नाका पर इंचार्च अधिकारी का कार्य	4 सप्ताह	नाका पर इंचार्च अधिकारी द्वारा नाका के काम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
9.	निरीक्षण/इन्फोरसमैंट का प्रशिक्षण के आबकारी व	4 सप्ताह	इस समय के दौरान इंसपैक्शन/इन्सफोर्समैंट काम का प्रशिक्षण कराधान अधिकारी (इन्सपैक्शन) तथा आबकारी व कराधान अधिकारी (इंसफोरसमैंट) द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्ष्यार्थी को सडक चैंकिंग पर भी आबकारी व कराधान अधिकारी द्वारा ले जाया जा सकता है।
10.	आबकारी लिपिक का प्रशिक्षण	2 सप्ताह	आबकारी सम्बन्धी कार्य के प्रशिक्षण के लिये आबकारी लिपिक के साथ सम्बन्धित किया जायेगा।
11.	आबकारी व कराधान अधिकारी/ सहायक सहायक आबकारी व कराधान अधिकारी (आबकारी) के साथ सम्बन्धित कानून	2 सप्ताह	इस अविध के दौरान /आबकारी व कराधान (आबकारी), आबकारी तथा कार्यविधि का विस्तृत प्रशिक्षण देंगे। शीरा कानून, औषधीय और प्रसाधन अधिनियम का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
12.	मद्यशाला प्रशिक्षण मद्यशाला दिया तथा अधिकारी/सहायक	4 सप्ताह	इस अवधि के दौरान एवं बरीवरी का प्रशिक्षण जाएगा और आबकारी कराधान

			आबकारी तथा कराधान अधि– नियम तथा घातक दवाएं अधि–नियम का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
12.	मद्यशाला प्रशिक्षण मद्यशाला	4 सप्ताह	इस अविध के दौरान एवं बरीवरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा और आबकारी तथा कराधान अधिकारी/सहायक आबकारी तथा कराधान अधि मद्यशाला अधिकारी(आबकारी), निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक के साथ सम्बन्ध किया जाएगा।
13.	रायायनिक वर्क्स रसायनिक आबकारी	2 सप्ताह	इस अवधि के दौरान वर्क्स का प्रशिक्षण देने के लिए रासायनिक वर्क्स में लगे निरीक्षक के साथ लगाया जाएगा।
14.	राजस्व लिपिक के काम का राजस्वप्रशिक्षण उपायुक्त कार्यालय में	2 सप्ताह	इस अविध के दौरान लिपिक का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

एल0एम0गोयल,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी व कराधान विभाग।

हरियाणा सरकार

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 दिसम्बर, 2005.

संख्या सा0का0नि0 19/संवि0/अनु0 309/2005—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप —ख) सेवा (संशोधन) नियम 2005, कहे जा सकते है।

2. हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1988 में, नियम 5 में, ——

(क) " (i)" कोष्ठक तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा तथा 8 जनवरी, 2004 से लोप किया गया समझा जाएगा ;

(ख) उप—नियम (ii) का लोप कर दिया जाएगा तथा 8 जनवरी, 2001 से लोप किया गया समझा जाएगा।

एल0एस0सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।

हरियाणा सरकार

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मई, 2004.

संख्या सा0का0नि0 14/संवि0/अनु0 309/2004—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप —ख) सेवा (संशोधन) नियम 2004, कहे जा सकते है।

2. हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप—ख) सेवा नियम, 1988 में, परिशिष्ट ड. में विद्यमान पाठ्यक्रम के स्थान पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रतिस्थापित किया जायेगा।

" विषय—**(I)** अपराध विधि

(1) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45) अध्याय I, V, IX से XI से XIII, XIV तथा XXIII ;

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), अध्याय VIII, IX, X,XI, XXV, XXVI,XXVII, XXVIII, XXIX तथा XXX ; को छोड कर ।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का I) अध्याय VI तथा VIII के सिवाय ;

(4) सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) ; तथा

(5) सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)।

" विषय—**(II)** आबकारी विधि

(1) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) ;

(2) पंजाब स्थानीय विकल्प अधिनियम, 1923 (1923 का पंजाब अधिनियम 5) ;

(3) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) ;

(4) पूर्वी पंजाब शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1948 (1948 का XI) ;

(5) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 194 (1994 का अधिनियम 11 केवल धारा 31) ;

(6) औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) ;

तथा

(7) उक्त मद संख्या 1 से 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें, आदेश और नियम।

" विषय—**(III)** संबंधित विधि

(1) पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का 16);

(2) पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का 16) ; तथा

(3) उक्त मद (1 और 2) के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, नियम और कार्यकारी अनुदेश।

" विषय–**(IV)** विक्रय कर विधि

(1) हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) ;

(2) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) ;

(3) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) ;

(4) माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का III) ; तथा

(5) उक्त मद 1 से 4 के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें, नियम एवं कार्यकारी अनुदेश ; तथा

(6) उम्मीदवारों से अधिनियम के सामान्य सिद्धान्तों का ज्ञान होना चाहिये। जहां तक वे, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम और इसके अधीन निर्धारण आदेशो के लिये भी अपेक्षित होगा।

" विषय–**(V)** बही खाता रखने की प्रणाली तथा सामान्य वाणिज्यिकी

विषय बही खाता रखने की प्रणाली तथा सामान्य वाणिज्यिकी उम्मीदवार से एकल तथा दोहरी बही खाता प्रविष्टि प्रणाली के सिद्धान्त तथा व्यवहार के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने की, जिसमें व्यापारिक लेखे, लाभ और हानि लेखे तथा तुलनात्मक तैयार करने शामिल है, अपेक्षा की जायेगी। पेपर में उम्मीदवारों के सामने वाणिज्यिक शब्दों तथा व्यवहार के ज्ञान की परीक्षा भी ली जायेगी।

विषय **VI** कम्पयूटर संचालन

परिक्षणार्थी की कम्पयूटर कार्य विण्डोज को संचालित करने तथा माईक्रो सोफ्ट शब्द, माईक्रोसोफ्ट एक्सल पैकेज के प्रभावी प्रयोग, ई0–मेल सूचना प्रौद्योगिक सृजित करने तथा ई0 –मेल के माध्यम से संदेश तथा फाईल प्राप्त करने तथा भेजने, इन्टरनैट में पहुंच, सरफिंग की इन्टरनेट तथा इन्टरनेट से सूचना डाऊन लोड करने से सम्बन्धित संगण्क के संचालन हेतु परीक्षा अपेक्षित होगी । " ।

चन्द्र सिंह,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

प्रेषक

आबकारी व कराधान आयुक्त,
हरियाणा ।

सेवा में

1. सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्री कर)
2. सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त (आबकारी)
3. सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त (निरीक्षण)
   हरियाणा राज्य में ।

क्रमांक 9348/ई0–।,
चण्डीगढ़, दिनांक 13,08,04.

विषय :– **Inspection of assessment cases .**

संदर्भः– इस कार्यालय के यादी क्रमांक 2954/ई0–।, दिनांक 18–3–2004 .

ज्ञापन

उपरांकित विषय के सम्बन्ध में पुनः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उप आबकारी व कराधान आयुक्त (आबकारी) बिक्री कर केसों के निरीक्षण से सम्बन्धित कार्य नही करेंगे । यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू माने जायेंगे ।

अधीक्षक स्थापना–।,
कृतेः आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा ।

पृ0 क्रमांक 9349/ई0–।, चण्डीगढ़, दिनांक 13–8–2004 .

एक प्रति अतिरिक्त आबकारी व कराधान आयुक्त (विधि शाखा) को इस कार्यालय के पृ0 क्रमांक 2955/ई0–।, दिनांक 18–3–2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

अधीक्षक स्थापना–।,
कृतेः आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा ।

पृ0 क्रमांक 9350/ई0–।, चण्डीगढ़, दिनांक 13–8–2004 .

एक प्रति मुख्यालय में निम्नांकित को इस कार्यालय के पृ0 क्रमांक 2956/ई0–।, दिनांक 18–3–2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

1. अतिरिक्त आबकारी व कराधान आयुक्त (बिक्री कर)
2. संयुक्त आबकारी व कराधन आयुक्त (बिक्री कर)
3. पी0ए0/ई0टी0सी0

अधीक्षक स्थापना–।,
कृतेः आबकारी व कराधन आयुक्त, हरियाणा ।

प्रेषक

आबकारी व कराधान आयुक्त,
हरियाणा, चण्ड़ीगढ ।

सेवा में,

1. सभी संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्त, (रेंज),
   हरियाणा राज्य में।
2. सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त, (बिक्री कर व आबकारी),
   हरियाणा राज्य में।
3. सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त, (निरीक्षण),
   हरियाणा राज्य में।

यादी क्रमांक 11321/ ई0 1,
चण्ड़ीगढ, दिनांक 22.11.06.

विषय :– उप आबकारी व कराधान आयुक्त (निरीक्षण) का हैडक्वाटर व उनका कार्यक्षेत्र नियत करने बारे।

ज्ञापन

उपरांकित विषयक मामले में उल्लेख है कि उप आबकारी व कराधान आयुक्त (निरीक्षण) के 7 पद स्वीकृत है। जिन का हैडक्वाटर व कार्यक्षेत्र सरकार के यादी क्रमांक 8273–अक–1–04/18205, दिनांक 20.10.04 द्वारा निम्न प्रकार से नियत किया गया हैः–

क्रम संख्या	जिस जिले में हैडक्वाटर नियत किया गया है।	जिस जिले का कार्यक्षेत्र दिया गया है।
1	अम्बाला	अम्बाला, पंचकूला तथा जगाधरी
2	करनाल	करनाल, कुरूक्षेत्र तथा कैथल
3	सोनीपत	सोनीपत व पानीपत
4	फरीदाबाद	फरीदाबाद (पूर्व व पश्चिम)
5	रोहतक	रोहतक, झज्जर, भिवानी तथा जीन्द
6	गुडगांव	गुडगांव (पूर्व व पश्चिम), रिवाडी तथा नारनौल
7	हिसार	हिसार, फतेहाबाद तथा सिरसा

अधीक्षक स्थापना –III,
कृतेः आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा।

प्रेषक

आबकारी व कराधान आयुक्त,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में

1 सभी संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्त (नाम से),
हरियाणा राज्य में।
2 सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त (नाम से),
हरियाणा राज्य में (जिला के इन्चार्ज)।
3 सभी उप आबकारी व कराधान आयुक्त (निरीक्षण), (नाम से)
हरियाणा राज्य में।

क्रमांक 15020/ई0 1,
चण्डीगढ़, दिनांक 28.12.05

विषय :– कार्यक्षेत्र से बाहर जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने हेतु।

ज्ञापन

उपरांकित विषय पर उल्लेख है कि प्रायः देखने में आया है जिला/रेंज स्तर पर पदस्थ संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्त/उप आबकारी व कराधान आयुक्त अपने कार्यक्षेत्र से बाहर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति बगैर चले जाते हैं जिसके परिणामस्वरुप जिलों में उनसे सम्पर्क स्थापित करने में कठिनाई आती है। अतः सभी संयुक्त आबकारी व कराधान आयुक्तों/उप आबकारी व कराधान आयुक्तों को हिदायतें दी जाती हैं कि वह भविष्य में अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाने के लिये आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।

इन हिदायतों की दृढ़तापूर्वक पालना की जाये। इस विषय में किसी भी प्रकार की चूक/ढील को गम्भीरता से लिया जाएगा।

(कमलेश चौधरी)
अतिरिक्त आबकारी व कराधान आयुक्त (प्रशा0),
कृतेः आबकारी व कराधान आयुक्त, हरियाणा।

From

The Excise and Taxation Commissioner,
Haryana.

To

1. Addl. Excise and Taxation Commissioner, HIPA, Gurgaon,
2. All the Jt. Excise and Taxation Commissioner (Range & Appeals),
3. All the Dy. Excise and Taxation Commissioner (ST, Ex. Insp),
in the State of Haryana.

Memo No. 3366/E-1-C,
Chandigarh, dated the 29.03.2007.

Subject : **Writing of Confidential report in time.**

Memo

The Govt. has fixed a time schedule for writing of annual confidential reports according to which the reports are required to be submitted to the Reviewing Authority by 7th April, to the Accepting Authority by 20th April and to the Head of Department by 15th of May. It has been observed that this time limit has not been adhered to in the past. It is, therefore, requested that all the ACRs for the year 2006-07 may be completed in time and sent to the Head Office before the prescribed date positively. It may be personally ensured that :-

i) All the ACRs are recorded in time and in case any officer/official does not supply the requisite details in time, the reporting officer may record his remarks of his own and can also make a mention regarding non submission of ACR proforma. Disciplinary action may also be recommended in a case where directions in this regard are not complied with.

ii) All the officers/officials should also be directed that Property Declarations are required to be submitted in time. The same may also be sent alongwith ACRs. Anyone not submitting his Property Declaration may invite disciplinary action and it should be brought to the notice of all concerned.

iii) You may ensure that all the ACRs are sent under one cover (separate for each category) alongwith list containing all the names of the officials/officers posted in your office either by registered post of by hand to the undersigned by name. It need not be reiterated that completion of all ACRs in time will be the personal responsibility of the Head of the office and any laxity will be viewed seriously.

(KAMLESH CHAUDHARY)
Addl. Excise and Taxation Commissioner (L/A),
for Excise and Taxation Commissioner, Haryana.

Endst. No. 3367/E1C, Chandigarh, dated the 29.03.2007

A copy is forwarded to all the officers/branch incharges in the Head Office.

(KAMLESH CHAUDHARY)
Addl. Excise and Taxation Commissioner (L/A),
for Excise and Taxation Commissioner, Haryana.